


भाग-III
कसियालेख-धारी-परवड़ा मोटर मार्ग का निर्माण
लम्बाई- 1.50 कि०मी०
(प्रस्ताव संख्या 20395/2016)
(सम्बन्धित वन संरक्षक द्वारा भरा जाना है)

<p>1. क्या वन स्थल जहाँ का वन क्षेत्र इसमें शामिल है, का सम्बन्धित वन संरक्षक द्वारा निरीक्षण किया गया है (हाँ/नहीं) यदि हाँ तो निरीक्षण की तारीख और प्रेक्षण जो निरीक्षण रिपोर्ट में किये गये हैं, को संलग्न करें।</p>	<p style="text-align: center;">नहीं</p> <p>प्रस्ताव के अनुरूप मार्ग की 1.50 कि.मी. लम्बाई में मात्र 25 बांज के वृक्ष प्रभावित हो रहे हैं। अतः अलग से निरीक्षण न कर प्रभागीय वनाधिकारी नैनीताल द्वारा 30-09-2016 को किये गये निरीक्षण से सहमति व्यक्त की जाती है।</p>
<p>2. क्या सम्बन्धित वन संरक्षक भाग-ख दी गई सूचना और उप वन संरक्षक की सिफारिशों से सहमत है।</p>	<p style="text-align: center;">हाँ सहमत</p>
<p>3. विस्तृत कारणों के साथ प्रस्ताव की स्वीकृति या अन्यथा के लिये सम्बन्धित वन संरक्षक की विशेष सिफारिशें।</p>	<p>इस शर्त के साथ सहमति व्यक्त की जाती है कि याचक विभाग द्वारा प्रभावित होने वाले 0-10 व 10-20 व्यास श्रेणी के बांज वृक्षों का प्रत्यारोपण सुरक्षित स्थल में किया जायेगा व इसकी सुरक्षा व्यवस्था की जायेगी।</p>

दिनांक 14-10-2016
स्थान-नैनीताल


(डॉ तेजस्विनी अरविंद पाटील)
वन संरक्षक,
दक्षिणी कुमाँऊ वृत्त, उत्तराखण्ड, नैनीताल